HEAD OFFICE

UTTARAKHAND ENVIRONMENT PROTECTION & POLLUTION CONTROL BOARD
Gauradevi Parayavaran Bhawan
46-B, SIDCUL, IT Park, Sahashtradhara Road
DEHRADUN (Uttarakhand)

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गौरादेवी पर्यावरण भवन
46–बी, सिडकुल, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़,
देहरादून(उत्तराखण्ड)

Web: www.ueppcb.uk.gov.in

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 23 वीं बैठक का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 23 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29.11.2019 को बोर्ड मुख्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौरादेवी पर्यावरण भवन, में अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे :-

1. श्री आनन्द वर्द्धन, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2. श्री जयराज, प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), वन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. श्री एस0 पी0 सुबुद्धि, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
4. श्री उदय सिंह राणा, नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार।
5. श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन-प्रतिनिधि उत्तराखण्ड चेम्बर आफ कामर्स।
6. श्री एस0एल0 सेमवाल, सचिव, एम0डी0डी0ए0, देहरादून, उपाध्यक्ष, एम0डी0डी0ए0 के प्रतिनिधि।
7. श्री के0 मेहता, शहरी विकास विभाग, देहरादून, अपर सचिव शहरी विकास विभाग के प्रतिनिधि।
8. श्री एच0सी0एस0 राणा, मुख्य अभियंता, हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के प्रतिनिधि।
9. डा0 आर0के0 सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून, के प्रतिनिधि।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बोर्ड अध्यक्ष एवं सभी बोर्ड सदस्यों का स्वागत करते हुये अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक में प्रस्तावित कार्य सूची के बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मत से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

कार्य सूची सं0 23.1	बोर्ड की 22वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन एवं उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से बोर्ड सदस्यों को अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड के 22वीं बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दुओं पर सदस्य सचिव राज्य बोर्ड द्वारा अनुपालन की स्थिति से बोर्ड बैठक में अवगत कराया गया। राज्य बोर्ड द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर निर्देश के साथ बोर्ड की 18वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन दिया गया।
22.3 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा काशीपुर व ऋषिकेश (Non-attainment cities) हेतु बनायी गयी कार्ययोजना पर अनुमोदन के क्रम में Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station (01 पद each city) and 02 additional Manual Ambient Air Quality Stations की स्थापना तथा उक्त दोनों शहरों हेतु Source Apportionment Studies कराये जाने के सम्बन्ध में। बोर्ड के निर्णयों के क्रम में दो अवर अभियन्ताओं के लिये उपनल को अनुरोध किया गया है। उपनल द्वारा मात्र दो ही अवर		बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि वाक इन इन्टरव्यू के आधार पर दो जे0आर0एफ0 प्रथमतया एक वर्ष की अवधि हेतु रखा जायें। उक्त जे0आर0एफ के लिये आवश्यकता अनुसार शैक्षिक योग्यता निर्धारित करते हुए अध्यक्ष, राज्य बोर्ड के अनुमोदन के उपरान्त आबद्ध किया जाय।

	अभियन्ता भेजे गये थे, जो कि सिविल पृष्ठभूमि के हैं एवं दोनों वायु प्रदूषण व सम्बन्धी कार्यो को करने में अयोग्य पाये गये।	
कार्य सूची सं0 23.2	**राज्य बोर्ड के वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 के वार्षिक बजट के अनुमोदन के सम्बन्ध में।**	बोर्ड बैठक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक बजट 2018-19 एवं 2019-20 का अनुमोदन किया गया । साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 की बैलेंस शीट का भी अवलोकन एवं अनुमोदन दिया गया। राज्य बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये की वर्ष 2020-21 की वार्षिक बजट यथाशीघ्र तैयार कर बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय। इसके साथ-साथ इनकम टैक्स विभाग द्वारा बोर्ड के वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक इनकम के रूप में रू0 56,51,24,439/- इतना का कर्ज आरोपित किये जाने एवं उसके सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा किये गये कार्यवाही की सम्बन्ध में सदस्य सचिव द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया गया। बोर्ड में आबद्ध चार्टर एकाउन्टेन द्वारा दिये गये प्रस्ताव सभी कर धनराशि इनकम टैक्स विभाग से वापस करने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि इनकम टैक्स विभाग में समस्त धनराशि वापस प्रस्तुत करने हेतु बोर्ड स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही किये जाना आवश्यक है। अतः बोर्ड द्वारा इसमें समुचित कार्यवाही करने हेतु अध्यक्ष बोर्ड को अधिकृत किया गया है।
कार्य सूची सं0 23.3	**राज्य बोर्ड की 22वीं बोर्ड बैठक में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु पुनरिक्षित प्रस्ताव।**	राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में पुनरीक्षित प्रस्ताव का अवलोकन एवं अनुमोदन किया गया।
कार्य सूची सं0 23.4	**राज्य बोर्ड हेतु शासन द्वारा स्वीकृत ढांचे के पुनरिक्षण. के सम्बन्ध में।**	राज्य बोर्ड की 22वीं बैठक में प्रस्तुत की गयी प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृत ढांचे में मुख्य पर्यावरण अधिकारी के वेतनमान को वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान से उच्चीकृत करने एवं अतिरिक्त वरिष्ठ पर्यावरण अधिकारी के 04 पद लेवल-12 में सृजित किये जाने सम्बन्धित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया एवं यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त वेतनमान में उच्चीकरण एवं

		अतिरिक्त वरिष्ठ पर्यावरण अधिकारी के 04 पदों हेतु प्रस्ताव उत्तराखण्ड शासन की अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जाय। बोर्ड बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा वर्तमान में राज्य बोर्ड हेतु स्वीकृत 130 पदों के ढ़ांचे में ही पदों में आवश्यकता के अनुसार संशोधन कर तकनीकि/वैज्ञानिक पदों को बढ़ाया जाये। तदोपरांत अध्यक्ष, राज्य बोर्ड के अनुमोदन के उपरान्त प्रस्ताव उत्तराखण्ड शासन को अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जाये।
कार्य सूची सं0 23.5	मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 22.08.2019 को आहूत बैठक में पिरुल से विद्युत उत्पादन परियोजनाओं हेतु सहमति शुल्क में छूट दिये जाने के सम्बव्ध में।	राज्य बोर्ड द्वारा पीरुल सम्बन्धी परियोजना व अन्य परियोजनाओं के स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति में शिथिलता हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये गये। 1. राज्य में स्थापित होने वाले पीरुल आधारित इकाइयों के स्थापित होने की तिथि से अग्रेतर पाँच वर्षो के लिये स्थापनार्थ सहमति एवं संचालनार्थ सहमति शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी जाय। 2. राज्य में संचालित कामन एस.टी.पी. के स्थापनार्थ एवं सहमति शुल्क में पाँच वर्षो के लिये शत-प्रतिशत छूट दी जाय तथा उनके द्वारा देय पूर्व वर्षो के समस्त सहमति शुल्क को भी माफ किया जाय। 3. राज्य में नगर निकायों द्वारा स्थापित किये जहाने वाले पशु वधशालाओं को भी अग्रेतर पाँच वर्षो के लिये स्थापनार्थ सहमति एवं संचालनार्थ सहमति शुल्क में शत-प्रतिशत की छूट दी जाय। 4. मशरुम उत्पादन के प्रकरण पर भी बैठक चर्चा की गई तथा यहा निर्देश दिये गये कि मशरुम उत्पादन एक कृषि उद्यान गतिविधि के अन्तर्गत आता है। अतः मशरुम उत्पादन की प्रक्रिया को सहमति लेने की बाध्यता से बाहर रखा जाय तथा मशरुम प्रसंस्करण(Musroom Processing) प्रक्रिया हेतु राज्य बोर्ड श्रेणी निर्धारित करे। 5. राज्य बोर्ड के गठन के उपरान्त बोर्ड बैठक की तिथि दिनांक 29.11.2019 तक स्थापित समस्त सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, जिनके द्वारा विभिन्न कारणों से बोर्ड की स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त नहीं की गयी है, से

		विलम्ब शुल्क/ब्याज नहीं लिया जायेगा, एवं इन उद्योगों को यह सुविधा 31.03.2020 तक स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति हेतु आवेदन करने पर ही अनुमन्य होगी। यह भी निर्णय लिया गया कि बोर्ड गठन से पूर्व स्थापित समस्त सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिये आवेदन की तिथि 31.12.2019 से बढाकर 31.03.2020 करने हेतु अवलोकन एवं अनुमोदन किया गया।
कार्य सूची सं0 23.6	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित उद्योगों के वर्गीकरण के इतर अन्य औद्योगिक प्रकियाओं के वर्गीकरण हेतु समिति का गठ्न एवं समिति द्वारा लिये गये निर्णय को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
कार्य सूची सं0 23.7	राज्य बोर्ड के केन्द्रीय प्रयोगशाला एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित होने वाले प्रयोगशालाओं के सुदृढ़िकरण के सम्बन्ध में।	बोर्ड में स्थापित होने वाले प्रयोगशालाओं को मानकों के अनुरूप स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि प्रयोगशाला हेतु एक अनुभवी पारमर्शी को आवद्ध किया जाये। बोर्ड बैठ्क में विचार विमर्श के दौरान यह भी चर्चा की गयी की उक्त प्रकरण को बोर्ड बैठ्क में रखने की आवश्यक प्रतीत नहीं होती है। अतः यह निर्देश दिये गये की प्रकरण पर प्रस्ताव तैयार कर अध्यक्ष राज्य बोर्ड से अनुमति प्राप्त कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।
कार्य सूची सं0 23.8	बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य सचिव, बोर्ड मुख्यालय के प्रथम श्रेणी के अधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारियों की वित्तीय शक्तियाँ बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा निम्नानुसार वित्तीय शक्तियों का प्रतिनिधान किया गया:-

क्र0सं0	पद नाम	प्रतिनिधायित की गयी वित्तीय शक्तियां
1.	बोर्ड	रु0 50.00 लाख से अधिक
2.	बोर्ड अध्यक्ष	रु0 50.00 लाख तक
3.	सदस्य सचिव	रु0 25.00 लाख तक (विज्ञापन हेतु पूर्ववत)
4.	सदस्य सचिव के अधीन नोडल अधिकारी	रु0 2.5 लाख तक (विज्ञापन के अतिरिक्त)

<table>
<tr><td></td><td></td><td><table><tr><td></td><td>प्रशासन/फाइनेंश कन्ट्रोलर</td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td>क्षेत्रीय अधिकारी</td><td>रु0 2.5 लाख तक (विज्ञापन के अतिरिक्त)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>कार्य सूची सं0 23.9</td><td>देहरादून, ऋषिकेश एवं काशीपुर हेतु Emission Inventory तथा Source Apportionment Studies कराये जाने के सम्बन्ध में।</td><td>राज्य बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित कार्य को दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कर Expression of Interest प्राप्त करते हुये सरकारी एवं राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों का चयन कर कार्यवाही की जाये।</td></tr>
<tr><td>कार्य सूची सं0 23.10</td><td>श्री सुभाष चन्द्र पंवार, सहायक पर्यावरण अभियन्ता को चिकित्सा प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।</td><td>राज्य बोर्ड द्वारा श्री सुभाष चन्द पंवार, सहायक पर्यावरण अभियंता के द्वारा प्रस्तुत चिकित्सकीय प्रतिपूर्ती हेतु रू03,35,867/- का अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td>अन्य बिन्दु</td><td>मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण के आदेश के क्रम में State Environmental Plan तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।</td><td>बैठक में प्रकरण पर विचार-विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि उक्त प्लान को तैयार करने हेतु जी0बी0 पंथ नेशनल इंस्टिट्यूट आफ हिमालय पर्यावरण एवं प्रबंधन, कोसी कटारमल से प्रस्ताव प्राप्त कर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाय।</td></tr>
</table>

अन्त में सभी मान्य सदस्यों के धन्यावाद के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।

(एस0 पी0 सुबुद्धि)
सदस्य सचिव

(आनन्द वर्द्धन)
अध्यक्ष